भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *213

दिनांक 13.03.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन

***213. श्री जी. सेल्वमः**
श्री मोहम्मद हनीफ़ाः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) जल जीवन मिशन (जेजेएम) के आरंभ से लेकर अब तक जिलावार इसके अंतर्गत तमिलनाडु और संघ राज्यक्षेत्र लद्दाख सहित देश में क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन (एफएचटीसी) प्रदत्त परिवारों का प्रतिशत क्या है और उनकी कुल संख्या कितनी है,

(ख) इस मिशन के आरंभ से लेकर अब तक तमिलनाडु और संघ राज्यक्षेत्र लद्दाख में इसके अंतर्गत वर्षवार आवंटित, जारी और उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस मिशन के अंतर्गत तमिलनाडु और संघ राज्यक्षेत्र लद्दाख में अभी तक कितने ग्रामीण परिवारों को नल से जल के कनेक्शन नहीं मिले हैं और शत-प्रतिशत कवरेज हासिल करने की समय-सीमा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस मिशन को लागू करने में किसी चुनौती की पहचान की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं,

(ङ) सरकार द्वारा तमिलनाडु के ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन, भू-जल पुनर्भरण और अपशिष्ट जल प्रबंधन के उपायों सहित सतत जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं:

(च) क्या लद्दाख में इस मिशन के अंतर्गत उपलब्ध कराए जाने वाले पेयजल की गुणवत्ता की नियमित रूप से निगरानी की जाती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(छ) सरकार द्वारा इस क्षेत्र में कार्य की खराब गुणवत्ता और उक्त योजना के कार्यान्वयन में विलंब जैसी समस्याओं के समाधान के लिए क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

उत्तर

जल शक्ति मंत्री
(श्री सी आर पाटिल)

(क) से (छ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन के संबंध में श्री जी. सेल्वम और श्री मोहम्मद हनीफ़ा द्वारा पूछे गए दिनांक 13.03.2025 को उत्तर हेतु नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *213 के भाग (क) से (छ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क): भारत सरकार देश के सभी ग्रामीण परिवारों को निर्धारित गुणवत्ता और नियमित तथा दीर्घकालिक आधार पर पर्याप्त मात्रा (55 एलपीसीडी) में सुरक्षित और पीने योग्य नल जल आपूर्ति का प्रावधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में, भारत सरकार ने अगस्त, 2019 में जल जीवन मिशन (जेजेएम) शुरू किया, जिसे तमिलनाडु और लद्दाख सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की भागीदारी से लागू किया जाना है। पेयजल राज्य का विषय है और इसलिए जल जीवन मिशन के अंतर्गत आने वाली योजनाओं सहित पेयजल आपूर्ति स्कीमों की आयोजना, अनुमोदन, कार्यान्वयन, संचालन और रखरखाव का उत्तरदायित्व राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों का है। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों की सहायता करती है।

जेजेएम के शुभारंभ के बाद से देश में ग्रामीण परिवारों की नल जल तक पहुंच बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। अगस्त 2019 में जेजेएम की शुरुआत में, केवल 3.23 करोड़ (16.8%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। अब तक, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा जेजेएम-आईएमआईएस पर सूचित किए गए अनुसार, 10.03.2025 तक, लगभग 12.28 करोड़ और ग्रामीण परिवारों को जेजेएम के तहत नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 10.03.2025 तक, देश के 19.42 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से लगभग 15.52 करोड़ (79.91%) परिवारों के पास नल जल आपूर्ति होने की सूचना है।

तमिलनाडु राज्य द्वारा सूचित किए गए अनुसार, 15.08.2019 को राज्य में जेजेएम की शुरुआत में, केवल 21.76 लाख (17.37%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन थे। तब से, लगभग 89.07 लाख और ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 10.03.2025 तक, राज्य के 1.25 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से लगभग 1.11 करोड़ (88.47%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल आपूर्ति का प्रावधान उपलब्ध है।

इसी तरह, संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख द्वारा सूचित किए गए अनुसार, 15.08.2019 तक जेजेएम की शुरुआत में, केवल 1,414 (3.48%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन थे। तब से, लगभग 0.38 लाख और ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 10.03.2025 तक, लद्दाख में 0.41 लाख ग्रामीण परिवारों में से 0.39 लाख (96.41%) से अधिक ग्रामीण परिवारों के पास नल जल आपूर्ति का प्रावधान उपलब्ध है। तमिलनाडु और लद्दाख में उपलब्ध कराए गए नल जल कनेक्शनों का जिला-वार ब्यौरा अनुबंध-। में दिया गया है।

(ख): पिछले पांच वर्षों (2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24) और चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 (10.03.2025 तक) के दौरान निधि आवंटन, आहरित निधि और तमिलनाडु राज्य द्वारा सूचित किए गए निधि उपयोग का विवरण निम्नानुसार है:

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	वर्ष	केंद्रीय हिस्सा					राज्य हिस्से से व्यय
		अथ शेष	आवंटित निधि	आहरित निधि	उपलब्ध निधि	व्यय	
1	2019-20	1.49	373.87	373.10	374.59	114.58	99.14
2	2020-21	264.09	921.99	690.36	954.45	576.87	399.57
3	2021-22	377.58	3,691.21	614.35	991.93	457.63	496.16
4	2022-23	534.30	4,015.00	872.96	1,407.26	593.71	664.36
5	2023-24	813.55	3,615.56	2,617.10	3,430.65	2,617.49	2,612.30
6	2024-25*	813.15	2,438.89	731.67	1,544.82	1,297.47	1,452.38
कुल			**15,056.52**	**5,899.54**	**5,901.03**	**5,657.75**	**5,723.91**

स्रोत: जेजेएम-आईएमआईएस *10.03.2025 की स्थिति के अनुसार

पिछले पांच वर्षों (2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24) और चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 (10.03.2025 तक) के दौरान निधि आवंटन, आहरित निधि और संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख द्वारा सूचित किए गए निधि उपयोग का विवरण निम्नानुसार है:

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	वर्ष	केंद्रीय हिस्सा				
		अथ शेष	आवंटित निधि	आहरित निधि	उपलब्ध निधि	व्यय
1	2019-20	8.10	166.65	67.86	75.96	0.61
2	2020-21	75.96	352.09	-	75.96	9.43
3	2021-22	66.52	1,429.96	340.68	407.20	144.96
4	2022-23	262.25	1,555.77	382.76	645.01	364.34
5	2023-24	280.66	477.11	131.07	411.73	346.73
6	2024-25*	65.00	624.78	187.43	252.43	60.78
कुल			**4,606.36**	**1,109.80**	**1,117.90**	**926.85**

स्रोत: जेजेएम-आईएमआईएस *10.03.2025 की स्थिति के अनुसार

(ग): तमिलनाडु राज्य द्वारा जेजेएम आईएमआईएस पर सूचित किए गए अनुसार, आज तक, लगभग 14.44 लाख ग्रामीण परिवारों को अभी नल जल कनेक्शन प्रदान किए जाने हैं, राज्य का लक्ष्य इसे सितंबर 2028 तक कवर करने का है। इसी तरह, लद्दाख

में, 1,461 ग्रामीण परिवारों को अभी नल जल कनेक्शन प्रदान किए जाने हैं, संघ राज्य क्षेत्र सरकार ने इसे दिसंबर 2025 तक कवर करने की योजना बनाई है।

(घ): राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने सूचित किया है कि जल की कमी, सूखा प्रवण और मरूभूमि क्षेत्रों में भरोसेमंद पेयजल स्रोतों की कमी, भूजल में भू-जनित संदूषकों की मौजूदगी, विषम भौगोलिक भू-भाग, अलग-थलग बसी हुई ग्रामीण बसावटें, कुछ राज्यों में समतुल्य राज्य अंश जारी करने में विलंब, योजना बनाने के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों, ग्राम पंचायतों और स्थानीय समुदायों के पास तकनीकी क्षमता की कमी, जल आपूर्ति योजनाओं का प्रबंधन, संचालन तथा रखरखाव, कच्चे माल की बढ़ती कीमत, वैधानिक/अन्य मंजूरी प्राप्त करने में देरी आदि मिशन के कार्यान्वयन में आने वाली कुछ समस्याएं हैं। इसके अलावा, कोविड-19 महामारी और रूस-यूक्रेन सैन्य संघर्ष के कारण कच्चे माल विशेष रूप से डीआई/एचडीपीई पाइपों की अल्प उपलब्धता ने भी राज्यों में कार्यान्वयन की गति को प्रभावित किया है।

चुनौतियों का समग्र रूप से सामना करने और इन पर काबू पाने के लिए, भारत सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जिनमें *अन्य बातों के साथ-साथ* अग्रलिखित शामिल हैं: पूंजीगत निवेश परियोजनाओं के लिए 50-वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण के रूप में वित्तीय सहायता के लिए वित्त मंत्रालय के माध्यम से पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता का कार्यान्वयन ताकि उन्हें उचित मूल्य पर पाइपों की सुनिश्चित और पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने के लिए समतुल्य राज्य अंश प्रदान करने में सहायता मिल सके, राज्यों द्वारा सांविधिक/अन्य स्वीकृतियां प्राप्त करने को सुविधाजनक बनाने हेतु केंद्रीय नोडल मंत्रालयों/विभागों/एजेंसियों के साथ समन्वय के लिए विभाग में एक नोडल अधिकारी का नामांकन, राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाइयों (एसपीएमयू) और जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाइयों (डीपीएमयू) की स्थापना और "नल जल मित्र कार्यक्रम" का कार्यान्वयन ताकि कार्यक्रम प्रबंधन के लिए तकनीकी कौशल सेटों और मानव संसाधन की उपलब्धता में अंतर को पाटने के लिए ग्राम स्तर पर कुशल स्थानीय व्यक्तियों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

(ङ): गांवों में जल आपूर्ति प्रणाली को दीर्घकालिक स्थिरता प्रदान करने के लिए विश्वसनीय पेयजल स्रोतों का विकास और/अथवा मौजूदा स्रोतों का संवर्धन, जेजेएम का एक अभिन्न अंग है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए कार्यसंबंधी दिशानिर्देशों में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:

i.) जल जीवन मिशन के अंतर्गत शुरू की गई किसी भी जल आपूर्ति स्कीम को संबंधित राज्य सरकार की स्रोत अन्वेषण समिति की सिफारिश के बाद ही अनुमोदित किया जाता है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि पहचान किए गए जल स्रोत, जिसके माध्यम से स्कीम की योजना बनाई गई है, में स्कीम डिजाइन

अवधि के लिए अपेक्षित मानदण्ड के अनुसार जल आपूर्ति को बनाए रखने हेतु पर्याप्त क्षमता है।

ii.) गांव-अवस्थित जल आपूर्ति अवसंरचना के सृजन के अलावा भरोसेमंद भू-जल स्रोतों रहित जल की कमी वाले सूखा प्रवण और मरूस्थलीय क्षेत्रों में जल के थोक अंतरण, शोधन तथा संवितरण प्रणाली के लिए अवसंरचना और पेयजल स्रोतों का विकास/सुदृढ़ीकरण/संवर्धन करना।

iii.) मनरेगा, ग्रामीण स्थानीय निकायों/पंचायती राज संस्थाओं को वित्त आयोग का अनुदान, सांसद और विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि, जिला खनिज विकास निधि, सीएसआर निधि आदि जैसी अन्य योजनाओं के सामंजस्य में पेयजल स्रोतों का सुदृढ़ीकरण।

जल शक्ति अभियान - कैच द रेन अभियान, इसके विभिन्न संस्करणों में, जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन संरचनाओं, पारंपरिक जल निकायों के नवीनीकरण, पुन: उपयोग और पुनर्भरण संरचनाओं, वाटरशेड विकास आदि पर केंद्रित है। इसके अलावा, जल शक्ति अभियान (जेएसएस): : कैच द रेन (सीटीआर) के तहत एक विशेष पहल जल संचय जन भागीदारी (जेएसजेबी) 6 सितंबर, 2024 को शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य स्थानीय समुदायों, उद्योगों और अन्य हितधारकों की सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करते हुए, सहयोगी समुदाय-संचालित जल संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा देना है और कम लागत, वैज्ञानिक रूप से डिज़ाइन की गई कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के माध्यम से जल प्रबंधन को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना है।

राष्ट्रीय जल मिशन (एनडब्ल्यूएम) ने तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) के रूप में "भूजल संवर्धन के कृत्रिम पुनर्भरण के सरल और व्यावहारिक तरीके" शीर्षक से एक मार्गदर्शन दस्तावेज तैयार किया है। इस पहल के बारे में जागरूकता का प्रसार करने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) कार्यकलाप भी शुरू किए गए हैं। जल संचय डैशबोर्ड के माध्यम से एक निगरानी और मूल्यांकन फ्रेमवर्क भी स्थापित किया गया है, जो पुनर्भरण संरचनाओं के भू-टैग किए गए स्थानों के साथ-साथ प्रगति को भी ट्रैक करता है। केन्द्रीय जल आयोग और केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड भूजल संवर्धन प्रयासों में सुधार करने के लिए पुनर्भरण संरचनाओं के सृजन और नवीकरण हेतु तकनीकी सहायता भी प्रदान करते हैं।

एसबीएम-जी के तहत, रसोई और बाथरूम से उत्पन्न होने वाले ग्रेवाटर के प्रबंधन के लिए सहायता प्रदान की जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रेवाटर के प्रबंधन के लिए सोख्ता गड्ढे पसंदीदा तरीका है। तथापि, राज्यों को स्थानीय परिस्थितियों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त प्रौद्योगिकी का विकल्प चुनने की स्वतंत्रता है। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रेवाटर प्रबंधन (जीडब्लूएम) के लिए तमिलनाडु राज्य में सामुदायिक और पारिवारिक दोनों स्तर पर हस्तक्षेप किए जा रहे हैं। आज तक, राज्य भर में 20 लाख से अधिक व्यक्तिगत

पारिवारिक स्तर की संपत्ति और 1 लाख से अधिक सामुदायिक संपत्ति हैं। सामुदायिक संपत्तियों में सोख्ता गड्ढे/लीच पिट/मैजिक पिट, ड्रेनेज चैनल और जीडब्ल्यूएम प्रणालियां शामिल हैं।

(च): जल जीवन मिशन के तहत, मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, पाइपगत जलापूर्ति योजनाओं के माध्यम से आपूर्ति किए जा रहे जल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो प्रकाशन के बीआईएस:10500 को बेंचमार्क के रूप में अपनाया गया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि वे विभिन्न नमूना संग्रहण स्थलों पर आवधिक आधार पर जल गुणवत्ता का परीक्षण करें और जहां आवश्यक हो, सुधारात्मक कार्रवाई करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परिवारों को आपूर्ति किया गया जल निर्धारित गुणवत्ता वाला है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जल गुणवत्ता के लिए पानी के नमूनों का परीक्षण करने और पेयजल स्रोतों के नमूना संग्रह, रिपोर्टिंग, निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए सक्षम बनाने के लिए, एक ऑनलाइन जेजेएम - जल गुणवत्ता प्रबंधन सूचना प्रणाली (डब्ल्यूक्यूएमआईएस) पोर्टल विकसित किया गया है। लद्दाख सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा डब्ल्यूक्यूएमआईएस के माध्यम से सूचित जल गुणवत्ता परीक्षण का राज्य-वार ब्यौरा जेजेएम डैशबोर्ड पर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है और इसे निम्न लिंक पर भी देखा जा सकता है:

https://ejalshakti.gov.in/WQMIS/Main/report

जेजेएम डैशबोर्ड पर एक 'सिटीजन कॉर्नर' भी विकसित किया गया था। इस कॉर्नर में ग्रामीण क्षेत्रों में पीडब्ल्यूएस के माध्यम से जल आपूर्ति की गुणवत्ता के बारे में जागरूकता का प्रसार करने और लोगों में भरोसा पैदा करने के लिए पब्लिक डोमेन में जल गुणवत्ता परीक्षण के परिणामों का प्रदर्शन शामिल था। दिनांक 2021-22 से 2024-25 की अवधि के लिए, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र हेतु कुल 28,344 नमूनों का परीक्षण किया गया है।

(छ): जल जीवन मिशन के अंतर्गत कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए भुगतान से पूर्व तृतीय पक्ष निरीक्षण और प्रमाणन अनिवार्य है। इस प्रयोजनार्थ, राज्यों को एजेंसियों द्वारा निष्पादित कार्य की गुणवत्ता, निर्माण के लिए प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता और प्रत्येक योजना में संस्थापित मशीनरी की गुणवत्ता की जांच करने हेतु तृतीय पक्ष निरीक्षण एजेंसियों (टीपीआईए) को पैनल में शामिल करने का अधिकार दिया गया है। प्रश्नों/शिकायतों, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ जेजेएम के अंतर्गत कार्यों की घटिया गुणवत्ता भी शामिल है, का निपटान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर किया जाता है। जब कभी इस विभाग में ऐसी शिकायतें/अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं, उन्हें आवश्यक सुधारात्मक उपाय करने के लिए संबंधित राज्य सरकार को भेज दिया जाता है। इसके अलावा, पेयजल और स्वच्छता विभाग कार्यशीलता मूल्यांकन, राष्ट्रीय वॉश विशेषज्ञों द्वारा वास्तविक स्थिति का पता लगाना, शिकायतकर्ता से कॉल-आधारित फीडबैक, राष्ट्रीय टीमों द्वारा क्षेत्र दौरे, बैठकों में स्थिति की समीक्षा आदि जैसे कई उपाय करता है ताकि

यह सुनिश्चित किया जा सके कि कार्यों की गुणवत्ता से संबंधित शिकायतों का समाधान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा किया जाता है।

तमिलनाडु और लद्दाख के ग्रामीण परिवारों सहित देश के सभी ग्रामीण परिवारों हेतु नल जल कनेक्शन के प्रावधान में तीव्रता लाने के लिए, जमीनी स्तर पर जेजेएम के कार्यान्वयन की गति में तेजी लाने के लिए ठोस प्रयास किए गए हैं। इनमें नियमित आधार पर राज्य सरकार के साथ उच्च स्तरीय संयुक्त समीक्षा बैठकें आयोजित करना और विभाग से बहु-विषयक टीमों का दौरा करना शामिल है, ताकि उन क्षेत्रों का पता लगाया जा सके, जिन पर मिशन मोड में कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि सभी परिवारों हेतु समयबद्ध तरीके से नल जल आपूर्ति का प्रावधान किया जा सके।

*****

अनुबंध - I

तमिलनाडु में नल जल कनेक्शन की जिले-वार स्थिति

क्र.सं.	जिला	कुल ग्रामीण परिवार (संख्या लाख में)	दिनांक 15/08/2019 को नल जल कनेक्शन वाले ग्रामीण परिवार (संख्या लाख में)		दिनांक 10/03/2025 को नल जल आपूर्ति वाले कुल ग्रामीण परिवार (संख्या लाख में)	
			संख्या	% में	संख्या	% में
1	अरियालुर	2.08	0.58	27.73	2.08	100
2	चेंगलपट्टू	4.16	0.44	10.60	4.15	99.85
3	कोयम्बटूर	3.73	1.87	50.26	3.73	100
4	कुड्डालोर	5.22	0.63	12.31	5.22	100
5	धर्मपुरी	3.43	0.02	0.60	2.07	60.48
6	डिंडीगुल	4.53	1.03	22.53	3.94	87.09
7	इरोड	4.19	0.64	15.38	3.90	93
8	कल्लाकुरिची	3.02	0.02	0.69	1.84	60.86
9	कांचीपुरम	2.16	0.59	27.23	2.16	100
10	कन्याकुमारी	2.17	0.79	36.66	2.17	100
11	करूर	2.04	0.41	20.14	1.86	90.82
12	कृष्णागिरी	4.09	0.05	1.26	2.97	72.5
13	मदुरै	4.49	0.55	12.27	4.19	93.29
14	मयिलादुथुराई	2.03	-	0.00	2.03	100
15	नागपट्टिनम	1.57	0.23	14.50	0.93	59.23
16	नमक्कल	3.62	0.59	16.66	3.62	100
17	नीलगिरी	1.47	0.04	4.36	1.37	93.21
18	पेरम्बलुर	3.70	0.19	12.88	2.21	59.86
19	पुदुक्कोट्टई	3.33	0.52	14.06	1.14	34.27
20	रामनाथपुरम	1.89	0.30	9.09	1.89	100
21	रानीपेट	6.46	0.86	45.23	5.70	88.23
22	सलेम	3.27	0.53	8.11	2.54	77.53
23	शिवगंगा	3.42	0.58	17.35	2.45	71.45
24	तेनकासी	4.22	0.65	18.96	4.22	100
25	तंजावुर	0.97	1.51	35.84	0.97	100
26	थेनी	1.85	0.55	29.53	1.85	100
27	थूथुकुडी	4.76	0.37	10.34	4.76	100
28	तिरुचिरापल्ली	3.05	1.29	27.20	2.47	80.93
29	तिरुनेलवेली	3.66	0.41	14.31	3.21	87.8
30	तिरुपथुर	4.72	0.67	30.94	4.45	94.15

क्र.सं.	जिला	कुल ग्रामीण परिवार (संख्या लाख में)	दिनांक 15/08/2019 को नल जल कनेक्शन वाले ग्रामीण परिवार (संख्या लाख में)		दिनांक 10/03/2025 को नल जल आपूर्ति वाले कुल ग्रामीण परिवार (संख्या लाख में)	
			संख्या	% में	संख्या	% में
31	तिरुपुर	2.80	1.56	मध्ये [illegible]	2.45	87.41
32	तिरुवल्लुर	2.13	0.58	12.27	2.10	98.82
33	तिरुवन्नामलाई	4.56	0.85	16.07	4.26	93.3
34	तिरुवरूर	5.30	0.64	20.94	5.27	99.43
35	वेल्लोर	2.13	0.73	34.24	2.13	100
36	विल्लुपुरम	4.37	0.05	1.18	4.25	97.11
37	विरुधुनगर	4.69	0.44	9.34	4.31	91.86
	कुल	125.28	**21.76**	**17.36**	110.8 8	88.47

लद्दाख में नल जल कनेक्शन की जिले-वार स्थिति

क्र.सं.	जिला	कुल ग्रामीण परिवार	दिनांक 15/08/2019 को नल जल कनेक्शन वाले ग्रामीण परिवार		दिनांक 10/03/2025 को नल जल आपूर्ति वाले कुल ग्रामीण परिवार	
			संख्या	%	संख्या	% में
1.	लेह लद्दाख	21,719	1,246	मध्ये 5.74	21,469	98.85
2.	कारगिल	18,952	168	0.89	17,741	93.61
	कुल	40,671	1,414	3.48	39,210	96.41

*****